



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 422]
No. 422]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 19, 1996/आषाढ़ 28, 1918
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 19, 1996/ASADHA 28, 1918

कृषि मंत्रालय
(कृषि और सहकारिता विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 19 जुलाई, 1996

का. आ. 524(अ).—केंद्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय बीज समिति से परामर्श करने के पश्चात्, यह राय होने पर कि कृषि के प्रयोजनों के लिए विक्रय किए जाने वाले, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट किस्मों के और उक्त सारणी के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट प्रकार के बीजों की क्वालिटी का विनियमन करना आवश्यक और समीचीन है, बीजों की उक्त किस्मों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह वर्ष की अवधि के लिए सम्पूर्ण भारत के लिए अधिसूचित किस्में घोषित करती है, अर्थात् :—

सारणी

क्रम सं.	किस्में	प्रकार
1	2	3
1.	आर. एस.-875	कपास
2.	मरुविकास (राज.एच.एच.-16)	कपास

[फा. सं. 17-2/96-एस. डी.-IV]
एन. रामा राव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Agriculture and Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th July, 1996

S.O. 524 (E).—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government, after consultation with the Central Seed Committee, being of opinion that it is necessary and expedient to regulate the quality of the seeds of the varieties specified in column (2) of the Table below of the kinds specified in corresponding entries in column (3) of the said Table, to be sold for the purposes of agriculture, hereby declares the said varieties of seeds to be the notified varieties, for a period of fifteen years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, for the whole of India for the purposes of the said Act, namely :—

TABLE

Serial Number	Variety	Kind
1	2	3
1.	RS-875	Cotton
2.	Maruvikas (Raj. HH-16)	Cotton

[F.No. 17-2/96-SD. IV]
N. RAMA RAO, Jt. Secy.